

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1588/ \ ४०७

By Regd. Post/Special Post

25 MAY 2005

ORDER

Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 245101 submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. course of one year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grant recognition to Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 245101 for an annual intake of 100 seats (One Hundred only) in B.Ed. course of One year duration with effect from 21st May 2005 subject to compliance of the following conditions before the commencement of the academic session.

- 30 to-day
30/5/05
- Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session.
 - The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session.
 - The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
 - The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
 - That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
 - Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

Contd.2...

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : राज प्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No. : 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Rajasthan, Bihar, Punjab, Chandigarh, H.P., Raja:

E-mail : ncte@raj.ncte.in

Website : http://www.ncte.in



5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

7. Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.


By Order,

(N. R. Mittal)
Regional Director

The Manager,
Government of India,
Department of Publications, (Gazette Section),
Civil Lines,
Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Education Secretary, Govt. of U.P., Secretariat, Lucknow (U.P.)
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad (U.P.)
4. The Registrar, C.C.S. University, Meerut, U.P. - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. In case the institution is not found to have complied with the said requirements; the concerned department shall withhold the affiliation and report the same to NRC, NCTE.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, Bahadur Shah Zafar Marg (Near ITO), New Delhi - 110 002
6. The Secretary, Shri Madhav College of Education and Technology, Keshav Nagar, Modinagar Marg, Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 245101 - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed
7. The Under Secretary, Computer Section, NCTE, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi - 110 002.
8. Computer cell (NRC).



(Signature)
25/5/11
Regional Director

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

P-29



पत्रांक :- सम्बद्धता/13/16
दिनांक :- 01.12.2006

सचिव,
श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नालॉजी,
हापुड़

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-72666/2005 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2005 के अनुपालन में महामहिम कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 95/जी.एस. दिनांक 01.02.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के "परन्तुक" के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नालॉजी, हापुड़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा भूमि महाविद्यालय के नाम विधिवत राजस्व: अभिलेखों में अन्तर्गत करा लिया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005-2(166)/2002-5टी0सी0, दिनांक 16.11.2005 तथा शासनादेश संख्या-5125/सत्तर-2-2005(166)/2002 टी0सी0, दिनांक 21.10.2005 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा संस्थान के माध्य बाउन्ड्रीवाल का निर्माण तथा पृथक मुख्य द्वार का निर्माण करा लिया जायेगा तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नालॉजी, हापुड़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

प्रेमक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/9259 दिनांक 25-06-2005 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-12866/2005 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2005 के अनुपालन में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) के "परन्तुक" के अधीन श्री माधव कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी, हापुड़, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2005 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- 1- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- 2- महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा भूमि महाविद्यालय के नाम विधित: राजस्व अभिलेखों में अन्तर्गत करा लिया जायेगा।
- 3- शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005-2(166)/2002-5 टी०सी० दिनांक 16-11-2005 तथा शासनादेश संख्या-5125/सत्तर-2-2005(166)/2002 टी०सी० दिनांक 29-10-2005 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- 4- महाविद्यालय द्वारा संस्थान के माध्य वाउन्सीवाल का निर्माण तथा पृथक मुख्य द्वार का निर्माण करा लिया जायेगा तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 5- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित तनखत मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 6- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2559/सत्तर-2-2003-96 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उद्विखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 7- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिवमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियों आगामी 25-02-2006 तक पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 86-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- 4- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री माधव कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलोजी, हापुड़, गाजियाबाद।

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

F.NRC/NCTE/F-3/UP-2405/ 28569
Code: APN04136

Date:

22 SEP 2007

LETTER OF INTENT PRIOR TO RECOGNITION

Sub: Informing decision for grant of recognition or permission under Clause 7(11) of the NCTE Regulations, 2005 published on 13th Jan 2006 course.

In terms of Section 15 of the NCTE Act, 1993, the **Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur, Distt. - Ghaziabad, UP** had submitted an application (Code No. APN04136) to the NRC of NCTE for grant of permission for additional intake in **B.Ed. course of 1 year duration with an annual intake of 100 students at Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur, Distt. - Ghaziabad, UP**

2. On the basis of the scrutiny of the documents submitted by the institution, input received from the Visiting Team Report and videography, the NRC in its 121st meeting held on 16th - 17th September, 2007, is satisfied that the above institution has adequate financial resources, accommodation, library, laboratory as prescribed in the norms and standards and that it fulfils all such other conditions relating to infrastructural and instructional facilities required for proper functioning of the institution for a course in teacher education for **an annual intake of 100 students.**

3. However, as required under Para 7(11) of the NCTE Regulations, published on 13th Jan 06, it is requested that appointment of qualified faculty members before the commencement of the academic session be made and a compliance report be sent so that formal unconditional order under section 15(3)(a) of the NCTE Act and Clause 7(12) of the said Regulation be issued.

4. Now, the institution shall undertake appointment of faculty/staff by a duly constituted selection committee and ensure selection of candidates possessing qualifications as prescribed under rules. (A duly constituted Selection Committee means "Selection Committee constituted as per the policy of the Central/State Government/Affiliating Body concerned whichever is applicable") along with an Affidavit on the prescribed format (format enclosed) on Rs. 100 stamp paper from the Management of the institution and Affidavit on Rs. 10 stamp paper from the staff appointed and staff list.

5. Attention of the institution concerned is also drawn to section 7(12) of NCTE Regulations dated 13th Jan 2006, which reads as "The Institution concerned, after appointing the requisite faculty/staff, shall put the information on its official website and also formally inform the Regional Committee concerned. The Regional Committee concerned shall then issue a formal Unconditional Recognition Order". Hence, the institutions shall host the details in the institution website and thereafter submit the details to NRC, NCTE.

6. The University is requested to submit the required information along with documentary proof duly certified by the concern authority to Northern Regional Committee, NCTE for its approval.

Contd.....02

::2::

7. It may be noted that the compliance alongwith the details should be submitted before commencement of the academic session.

8. Admissions shall not be made until formal recognition order under Para 7(12) of the Regulations dated 13th Jan 06 is issued by the Northern Regional Committee, NRC-NCTE, Jaipur.

By Order,

(Dr. O. V. S. Sikarwar)
Regional Director

To,
The Manager,
Shri Madhav College of Education & Technology,
Keshav Nagar, Modi Nagar Marg, Harpur,
Distt. - Ghaziabad, UP

Encl: Annexure: Affidavit, Annexure I & II.

Copy to:

1. The Registrar, C. C. S. University, Meerut, UP - with the request that the examining body shall adhere Rules and Regulations of the NCTE and also to take further necessary action with reference to selection of the requisite faculty/staff etc. as per the NCTE Rules and Regulations before the commencement of the session.
2. Office order file/ Institution file.


Regional Director

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौध चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लघुसंक्र.दिनांक: 3⁰ अक्टूबर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/1945, दिनांक 15-09-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, हापुड़ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वतंत्र गौणित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2006 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिमयावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवतीय,


(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-4322(1)/सत्तर-2-2007-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- ✓(2) निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश की मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- ✓(5) सचिव/प्रबन्धक, श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, हापुड़।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 2895
दिनांक : 22 नवम्बर, 2007
14/11/07

सचिव,

श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
केशव नगर, मोदीनगर मार्ग,
हापुड़ (गाजियाबाद)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-4322/सत्तर-2-2007-2(18)/2004टी0सी0, दिनांक 30.10.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, हापुड़ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, हापुड़ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



P-68

पत्रांक : सम्बद्धता/779
दिनांक : मई, 2008
12/6/08

सचिव,
श्री माधव कालिज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी,
केशव नगर, मोदीनगर मार्ग,
हापुड।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1125/सत्तर-2-2008-2 (18)/2004 टी0सी0, दिनांक 16.04.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालिज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006-2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री माधव कालिज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2006-2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

P-59

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 16 अप्रैल, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/2759, दिनांक 12-12-2007 एवं पत्रांक:सम्बद्धता/3560, दिनांक 22 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड़ को बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006-07 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रचलन की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

- (5) प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय/संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधाएँ एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन/अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश लोक सभा/विधान सभा के उप चुनाव, 2008 के लिए प्रभावी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

संख्या-1125(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (4) सचिव/प्रबन्धक, श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर मार्ग, हापुड़।
- (5) निजी सचिव, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-7/UP-2405/Appeal/151 MEETING//2009/12/93

11 NOV 2009
Dated:

ORDER

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 **Shri Mahadev College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur- 245101, District- Ghaziabad, U.P.**, had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE, Jaipur for grant of recognition/permission for starting **B.Ed Additional Intake** of **One year** duration with an annual intake of **100 (One Hundred Only)** students on **16.07.2007**.

2. AND WHEREAS the original file of the institution as well as other documents and materials submitted by the institution along with VTR videography were duly considered by the NRC in its 121st 2nd Sitting Meeting held on **16th to 17th September 2007** the committee decided to issue Conditional Letter of Recognition to the institution and accordingly conditional recognition order was issued vide NCTE letter no. **F.NRC/NCTE/F-3/UP-2405/28569-70 Dated 22.09.2007**.

3. AND WHEREAS the applicant institution has submitted representation to Northern Regional Committee, NCTE, Jaipur and the matter was placed before NRC in its 141st Meeting held on **22nd to 24th May 2009** and the committee decided to refuse the recognition for B.ED Additional Intake of one year duration. Accordingly order was issued vide order no. **F.NRC/NCTE/F73/UP-2405/141 MEETING/2009/9913-18 dated 31.08.2009**. The above said institution, thereafter preferred an appeal dated **20.08.2009** to the NCTE, New Delhi. Under section 18 of the NCTE Act 1993 against the aforesaid order.

4. AND WHEREAS after perusal of documents, memorandum of appeal, affidavit and after hearing oral arguments advanced during the hearing, the NCTE, New Delhi, reached the conclusion that there was adequate ground to accept the appeal, and accordingly remanded back the matter to NCTE NRC with the direction to issue the order of recognition to the institution, in its order no. **F.NO. 89-912/2009 -APPEAL dated 03.10.2009**.

5. AND WHEREAS the matter was again placed before the NRC NCTE in its 151st Meeting held on 20th to 21st October 2009 and the committee decided process the file as directed.

6. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants permission to **Shri Mahadev College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur- 245101, District- Ghaziabad, U.P.** for conducting **B.ED Additional Intake of Secondary (Level) of One year** duration with an annual intake of **200 (100 Existing + 100 = 200) Students (Two Hundred only)** from the academic session **2009-2010** under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following conditions as per the clarification from the NCTE HQtrs letter No. File No. **48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated 01/10/2009**.

I. The admissions of students shall be made only after affiliation by the examining body where the commencement of the academic session and the admission of the students shall be completed well before the cut off date prescribed by the examining body for the academic session 2009-2010, failing which the recognition will be effective from the academic session 2010-2011 only.

II. Formal orders for recognition/permission will operate for 2009-2010 only if the requirement of 180 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.

7. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

8. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.P., Ultranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Cont:2

9. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.
10. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.
11. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. In respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.
12. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
13. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -
- Copy of the Application Form
 - Land and Building Particulars
 - Staff Profile
 - Recognition letter
 - Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.
14. In case if the land is in the name of the Society, you must transfer the land within six month in the name of the institution failing to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate the respective Regional Committee along with the new land document within the stipulated time.

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

(Dr. K.S. Yadav)
Regional Director
Tel. No. 0141-2623501

C.C.

- (1) The Principal, **Shri Mahadev College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur- 245101, District- Ghaziabad, U.P.**
- (2) The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
- (3) The Registrar, **C.C.S. University, Meerut, U.P.**
- (4) The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad, U.P.
- (5) The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
- (6) The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
- (7) Office Order file/ Institution file.
- (8) The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002. With reference to appeal order No. **F.NO. 89-12/2009 -APPEAL dated 08.10.2009.**

(Dr. K.S. Yadav)
Regional Director

F. No./NRC/NCTE/UP-1588 & UP-2405/2015

131045

Date:

8 DEC 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/F-3/UP-1588/1797-1805 dated 25.05.2005 with an annual intake of 100 seats with effect from 21st May, 2005 and B.Ed. (Add.) Intake vide order No. F. NRC/NCTE/F-7/UP-2405/Appeal/151 meeting/2009/12192-12199 dated 11.11.2009 with an annual intake of 200 (100 existing + 100 = 200) seats.

3. AND WHEREAS, the institution Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for four basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have four basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by May 30th, 2016.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before May 30th, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The institution shall identify/selected the faculty/staff and obtained the approval from the affiliating body for the same latest by 29th February, 2016 and same be conveyed to the Northern Regional Committee by that date.

(iv) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition after May 30th, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

(v) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act, Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 200 for four basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 29.02.2016.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

Cont. 2

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

8. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order

(Dr. S.K. Chandra)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Principal, **Shri Madhav College of Education & Technology, Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur-245101, State - Uttar Pradesh.**
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200005, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file

Regional Director

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1014
दिनांक : 02.06.2023

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रोड़ हापुड़ को कला, वाणिज्य व विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल), बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक-एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 02.08.2022 के आलोक में श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रोड़ हापुड़ को कला, वाणिज्य व विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल), बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक-एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्री माधव कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, केशव नगर, मोदीनगर रोड़ हापुड़।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।


कुलसचिव